प्रेस विज्ञप्ति
27.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत सज्जन कुमार पुत्र स्वर्गीय रौनक राम के स्वामित्व वाली संस्थाओं/व्यक्तियों से संबंधित नई दिल्ली में11. 20 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों] भूमि और फ्लैट [को अनंतिम रूप से कुर्क किया है ।

ईडी ने सज्जन कुमार और विभिन्न अन्य आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ राजस्व आसूचना निदेशालय) डीआरआई (द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। डीआरआई द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के अनुसार ,आरोपियों ने सऊदी अरब ,मलेशिया ,दक्षिण अफ्रीका ,अफगानिस्तान आदि देशों को कालीन ,वस्त्र ,कपड़े आदि का अत्यधिक अधिक मूल्य पर निर्यात करके अनुचित निर्यात प्रोत्साहन का लाभ उठाया। सज्जन कुमार की पहचान इस रैकेट के सरगना के तौर पर की गई जिसने सरकारी खजाने को 32. 25करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

ईडी की जांच से पता चला है कि अपराध की आय का इस्तेमाल सज्जन कुमार ने विभिन्न संपत्तियों में निवेश के लिए किया था। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि सज्जन कुमार और उनके सहयोगियों ने कई संस्थाओं के माध्यम से विस्तृत योजना बनाई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार से प्राप्त ड्यूटी ड्रा बैक का पता उन तक न लगाया जाए। प्राप्त की गई राशि को तुरंत विभिन्न नकली संस्थाओं में अंतरित कर दिया गया। इस तरह से अंतरित की गई राशि को या तो नकद में निकाला गया या फिर कई स्तरों पर धन जमा करने के बाद विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया गया। ड्यूटी ड्रा बैक से प्राप्त राशि का उपयोग रियल एस्टेट व्यवसाय और फ्लैटों के निर्माण के लिए भी किया गया था। अपराध की आय से बनाए गए फ्लैट आमतौर पर नकद में बेचे जाते थे।

ईडी ने इससे पहले24 -09- 2021को कई स्थानों पर तलाशी ली थी और कई डिजिटल साक्ष्य जब्त किए थे। इसके बाद मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को दिनांक25 .09. 2021को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13.10. 2021और दिनांक10 .08. 2022के 2 अनंतिम कुर्की आदेशों) पीएओ (के जरिए करीब4 . 43करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की गई है। दिनांक23 .11. 2021को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ,नई दिल्ली के समक्ष 5 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत) पीसी (दायर की गई थी। इसका संज्ञान03 .12. 2021 को लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।